

**अध्याय-7**  
**कानूनी प्रभार**

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रम्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान / गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.01	निम्नलिखित भुगतान की स्वीकृति 1. उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्केल के भीतर अथवा बोर्ड द्वारा अलग से अनुमोदित अधिवक्ता की शुल्क		रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	शून्य	शून्य	1. जहाँ पर कोई स्केल निर्धारित नहीं की गई है। वहाँ पर वित्तीय सहमति से वही शक्तियाँ प्रयोग की जाएगी। 2. प्रत्येक मामले में विधि अधिकारी से परामर्श किया जाए। 3. सरकारी अधिवक्ता को दिए जाने वाली दर, रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 90/एल.सी.14/5 (सी.पी.ए), दि० 18.01.1995 द्वारा निर्धारित 4. रेलवे बोर्ड के अनुदेश के अनुसार वकील को अनुबद्ध किया जाएगा।
7.01	2. न्यायालय में दर्ज मुकदमों से जुड़ा हुआ आकस्मिक कानूनी खर्च जिसमें मध्यस्थता अभिनिर्णय के लिए स्टाम्प शामिल है।		.....वही.....	.....वही.....	शून्य	शून्य	
7.01	3. एक मुस्त राशि पर नियुक्त अधिवक्ताओं का यात्रा भत्ता, जब वे न्यायालय से जुड़े मामले में, जिसमें रेलवे एक पक्ष हो, अपने मुख्यालय से बाहर यात्रा करते हैं।		.....वही.....	शून्य	शून्य	शून्य	
7.02	जाँच आयोग, सम्मेलनों, समिति की बैठकों किसी जन सेवा के कार्य निष्पादन के लिए विभागीय जाँच में मानदेय के आधार पर बुलाए गए तथा न्यायालय में रेलवे के लिए साक्ष्य देने हेतु गैर सरकारी व्यक्ति को यात्रा भत्ता की स्वीकृत		.....वही.....	शून्य	शून्य	शून्य	

**Chapter - 7**  
**LAW CHARGES**

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scal/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.01	To sanction payment of : I) Pleaders fees within the scales fixed by the High Court or separately approved by Board.		Full powers according to rates prescribed by the Board.	Full powers according to rates prescribed by the Board.	Nil	Nil	I) Where no scales have been fixed, same powers will be exercised with finance concurrence. ii) Law Officer to be consulted in each case. iii) The rates payable to Govt. advocates are at present fixed in terms of Rly. Bd. letter No. 90/LC/14/5(CPA) Dt. 18.01.95. iv) Engagement of lawyers will be made as per Railway Board's instructions.
7.01	ii) Incidental legal expenses connected with suits filed in Court of Law including Court Stamps for Arbitration Award.		-do-	-do-	Nil	Nil	
7.01	iii) Conveyance charges of pleaders engaged on lump-sum fee when they undertake journeys outside their Head Quarters in connection with court cases to which the Railways is a party.		-do-	Nil	Nil	Nil	
7.02	To sanction payment of T.A. to a person not in Govt. service when called upon to attend Commission of Inquiry, Conferences, Meetings of Committees, Departmental Inquiry of perform any other public duty in honorary capacity including tendering evidence for the Railway in Court of Law.		-do-	Nil	Nil	Nil	